(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 7062–तीन/201 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–10–2015 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 93/बी–103/2014–15.

सुरेशचन्द्र पिता रतनलाल
निवासी ग्राम खरसोदकला तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन ——— आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा उप–पंजीयक
   बडनगर जिला उज्जैन म0प्र0
2. श्रीमती श्यामुबाई पुत्री भैरूलालजी पति
   मुन्नालाल अहीर
3. संजय पिता श्री मुन्नालालजी
   निवासीगण ग्राम खरसोदकलां, तहसील
   बड़नगर जिला उज्जैन ——— अनावेदकगण

....
श्री बी0एल0शर्मा, अभिभाषक आवेदक
....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने अनावेदक कमांक 2 एवं 3 से ग्राम खरसौदकलां प0ह0नं0 11 तहसील

बडनगर जिला उज्जैन स्थिति भूमि सर्वे कमांक 712 रकबा 0.60 हैक्टेयर कय की। विकय विलेख बाजार मूल्य 15,57,000/– स्टाम्प शुल्क 5,500/– पर टंकित होकर दिनांक 02–7–15 को निष्पादित किया गया। उपपंजीयक द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क 89,900/– एवं शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु विलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 33 के तहत संदर्भित किया जाकर कलेक्टर आफ स्टाम्प की ओर भेजा। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रकरण कमांक 93/बी–103/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12–10–2015 के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूप्ये 15,57,500/– पर रूपये 95,400/– मुद्रांक शुल्क प्रभार्य मानते हुये उक्त मुद्रांक शुल्क में चुकाये गये मुद्रांक शुल्क रूपये 5500/– कम करते हुये रूपये 89,900/– एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 40(ख) के अन्तर्गत 40,000/– अर्थदण्ड इस प्रकार कुल रूपये 1,29,900/– 15 दिवस में जमा करने के आदेश दिये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि आवेदक ने विकय पत्र दिनांक 01–7–2015 संपादित करवा जाना आवश्यक था। विकय पत्र हेतु उपपंजीयक कार्यालय बडनगर में उक्त दिनांक को सर्वर डाउन होने से ई–पंजीयक प्रारंभ नहीं होने व स्टाम्प वेंडरों द्वारा भी दिनांक 01–7–2015 से ई–पंजीयन प्रारंभ होने के कारण कोषालय से स्टाम्प नहीं निकाले गये थे इस कारण विकय पत्र दिनांक 02–7–15 को बडनगर में सभी स्टाम्प वेंडरों के पास में स्टाम्प उपलबध नहीं होने के कारण उपलब्ध स्टाम्प लगाकर विकयपत्र टाईपिंग करवाकर उपपंजीयक कार्यालय बडनगर में प्रस्तुत करना पड़ा। यह भी तर्क किया कि आवेदक कमी मुद्रांक शुल्क अदा करने के तैयार है किन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा 40,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करने में वैधानिक त्रुटि की है।

अतः निर्धारित बाजार मूल्य अनुसार मुद्रांक शुल्क जमा करने एवं अधिरोपित अर्थदण्ड निरस्त करने के आदेश दिये जायें।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा 01–7–2015 से ई–पंजीयन प्रारंभ होने के कारण कोषालय से स्टाम्प नहीं निकाले गये थे इस कारण विकय पत्र दिनांक 02–7–15 को बडनगर में सभी स्टाम्प वेंडरों के पास में स्टाम्प उपलबध नहीं होने के कारण उपलब्ध स्टाम्प लगाकर विकयपत्र टाईपिंग करवाकर उपपंजीयक कार्यालय बडनगर में प्रस्तुत करने पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। आवेदक द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र में स्वयं यह स्वीकार किया था कि वह कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 89,900/– जमा करने के तैयार है। इसके बावजूद भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक द्वारा दिये गये कारणों की बिना किसी जांच के उसपर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण कलेक्टर आफ स्टाम्प बड़नगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दिनांक 01–7–2015 को सर्वर डाउन होने से ई–पंजीयक के माध्यम से विकय पत्र सम्पादन की स्थिति एवं दिनांक 01–7–2015 को बडनगर में स्टाम्प की उपलब्धता की जांच करने के उपरांत युक्तियुक्त आदेश पारित करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर